न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 156/2023 तारीख रजू:– 21.08.2023

पीठासीन अधिकारी :– हेमराज गुर्जर
R.A.S.

1. शेरसिंह 2. हरलाल 3. लालसिंह	पिसरान रघुवीरसिंह	जाति जाट, निवासी फुलवाडा तहसील हिण्डौनसिटी, जिला करौली (राज०) ————————सायलान

बनाम

1. दीनासिंह 2. दिलीपसिंह	पिसरान रामसहाय	जातियान जाट, निवासी फुलवाड़ा, हिण्डौन सिटी जिला करौली राजस्थान
3. ओमप्रकाश 4. सोनसिंह 5. वासुदेव	पिसरान गंगासहाय	
6. अनीतादेवी पत्नी चन्द्रपाल 7. उर्मिलादेवी पत्नी बदनसिंह 8. नीरजदेवी पत्नी यशपाल		

9. तहसीलदार साहब, तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान ————————गैरसायलान

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :–1. अशोक नीमनका एडवोकेट सायलान
2. नरेन्द्र सिंह जादौन एडवोकेट गैरसायल सं01 ता 8

निर्णय

दिंनाक :– 11.09.2025

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सायलान ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं. 1 में दर्ज किया है कि सायलान ने गैरसायलान के विरुद्ध उपरोक्त उनवानी दावा माननीय न्यायालय में मजबूत आधारों पर पेश कर दिया है, जिसमें सायलान को सफलता मिलने की पूरी–पूरी उम्मीद है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 2 में दर्ज किया है कि आराजी साबिक खसरा नम्बर 468 रकवा 10 बीघा 8 बिस्वा (260 ऐयर) स्थित ग्राम फुलवाडा तहसील हिण्डौन सायलान एवं गैरसायलान की सहखातेदारी की आराजीयात रही है, जिसमें सायल संख्या 01 ता 03

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

मोहनसिंह से करीब 100 बीघा कृषि भूमि विरासत में प्राप्त हुई थी, स्व० मोहनसिंह ने अपने जीवनकाल में अपनी कुछ आराजी को अपने पुत्र गंगासहाय के नाम, कुछ भूमि को अपने पुत्र रघुवीर व रामसहाय के नाम करवाया हुआ था, स्व० मोहनसिंह जी के फौत हो जाने पर उनके तीनों पुत्रों रघुवीर, रामसहाय, गंगासहाय द्वारा विरासत मे प्राप्त उक्त आराजी को कास्त की सुविधा के लिये आपस में बांट लिया, कुछ आराजी को तीनों भाईयों ने, कुछ आराजी को दो भाईयों ने कास्त की सुविधा के लिये शामलाती रखा, वर्ष 1984 में तहसील हिण्डौन में सेटलमेन्ट ऑपरेशन के दौरान तीनों भाईयों द्वारा आपसी सहमति से जिन खसरों की भूमि को किसी एक भाई के हिस्से कब्जे मे दिया, उनके संबंध मे सेटलमेन्ट ऑफिसर के समक्ष आवश्यक दस्तावेज निष्पादित करके उस भाई के नाम तन्हा रूप से राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज करवाया, और जिन भूमियों को दो भाईयों ने या तीनों भाईयों ने कास्त की सुविधा के लिये शामलाती रखा, उन भूमियों को वाहमी बंटवारे मे शामिल नहीं किया, तीनों भाईयों के बीच सेटलमेन्ट ऑपरेशन के दौरान हुये बाहमी बंटवारे एवं निष्पादित किये गये दस्तावेज के आधार पर साबिक खसरा नं 679 हाल खसरा नं 1958 स्थित ग्राम बंध का पुरा की भूमि को सायलान के पिता रामसहाय के कब्जे, हक व अधिकार मे दिया गया, एवं साबिक खसरा नं 629 एवं 631 जिसके हाल खसरा नं 1708, 1747, 1748, 1749, 1750 स्थित ग्राम बंध का पुरा कायम किये गये हैं की भूमि को सायलान के पिता रघुवीर एवं गैरसायलान के पिता रामसहाय द्वारा कास्त की सुविधा के लिये शामलाती रखा, इसके अलावा भी ग्राम फुलवाडा में स्थित हाल खसरा नं 465 की भूमि को रामसहाय एवं गंगासहाय ने, खसरा नं 527, 528, 529, 534 की भूमि ग्राम फुलवाडा को रामसहाय व रघुवीर ने शामलाती रखा, इसी प्रकार ग्राम फुलवाड़ा की भूमि खसरा नं 107, 108, 1026, 308, 429/2472, 521, 577, 664 की भूमि को तीनों भाई रामसहाय, रघुवीर व गंगासहाय ने कास्त की सुविधा के लिये शामलाती रखा, शेष अन्य शामलाती भूमि को तीनों भाईयों ने समान रूप से खेतों की कीमत का अंकन करते हुये आपसी सहमति से बांटकर अलग–अलग करवाया है. उक्त तथ्य की जानकारी सेटलमेन्ट ऑपरेशन के समय से ही तीनों भाईयों को और उनकी मृत्यु के बाद उनके वारिसान को स्पष्ट रूप से रही है, फिर भी सायलान द्वारा साबिक खसरा नं 629, 631 ग्राम बंध का पुरा की भूमि के कायम किये गये नवीन खसरा नं 1708, 1747, 1748, 1749, 1750 स्थित ग्राम बंध का पुरा जिसमे की गैरसायलान का हिस्सा 1/4 दर्ज रिकॉर्ड है, ग्राम फुलवाडा में स्थित रही साबिक खसरा नं 91, 373, 468, 111, 237, 373, 467/1, 467/2, 615, 621 की भूमियों के संबंध में तीनों भाईयों के बीच भूमियों की कीमत तय कर, कीमत अनुरूप भूमि रकबा देकर आपसी सहमति से बंटवारे किये है, जिसके आधार पर ही अलग अलग खातेदारी रिकॉर्ड मे दर्ज है। सायलान उक्त सम्पूर्ण शामलाती भूमि के हुये बंटवारे के तथ्य को छिपाकर केवल खसरा नं. 468, 91, 373 की भूमि के बंटवारे के तथ्य को दर्ज करके ही न्यायालय से सही व वास्तविक तथ्य छिपाकर, गैरसायलान से

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

के पिता रघुवीरसिंह के गैरसायल संख्या 01 व 02 के पिता रामसहाय एवं गैरसायल संख्या 03 ता 06 के पिता गंगासहाय प्रत्येक 1/3 हिस्से के खातेदार काश्तकार रहे हैं।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 3 में दर्ज किया है कि आराजी साबिक खसरा नम्बर 468 के दौराने सैटलमेंट नवीन खसरा नम्बर 1021 रकवा 23 ऐयर, 1022 रकवा 19 ऐयर, 1023 रकवा 7 ऐयर, 1024 रकवा 7 ऐयर, 1025 रकवा 5 ऐयर, 1026 रकवा 9 ऐयर, 1027 रकवा 43 ऐयर, 1028 रकवा 40 ऐयर, 1045 रकवा 37 ऐयर, 1046 रकवा 37 ऐयर, 1047 रकवा 30 ऐयर कुल किता 11 कुल रकवा 2.57 है० स्थित ग्राम फुलवाडा तहसील हिण्डौन कायम किये गये।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 4 में दर्ज किया है कि दौराने सैटलमेंट, सैटलमेंट विभाग के कर्मचारियों द्वारा जरिए खसरा परिशोधन पत्र उक्त आराजी के नवीन खसरा नम्बर 1023 रकवा 7 ऐयर, 1028 रकवा 40 ऐयर, 1047 रकवा 30 ऐयर, एवं खसरा नम्बर 1026 रकवा 9 ऐयर चाह में 1/3 हिस्सा अर्थात कुल 80 ऐयर रकवा सायलान की खातेदारी में दर्ज फरमा दिया, जबकि उसके विपरीत गैरसायल संख्या 01 व 02 की खातेदारी में खसरा नम्बर 1021 रकवा 23 ऐयर, 1022 रकवा 19 ऐयर, 1024 रकवा 7 ऐयर, 1046 रकवा 37 ऐयर एवं 1026 रकवा 9 ऐयर में से 1/3 ऐयर इस प्रकार कुल 89 ऐयर रकवा दर्ज फरमा दिया एवं गैरसायल संख्या 03 ता 05 की खातेदारी में खसरा नम्बर 1025 रकवा 5 ऐयर, 1027 रकवा 43 ऐयर, 1045 रकवा 37 ऐयर एवं 1026 रकवा 9 ऐयर में से 1/3 हिस्सा इस प्रकार कुल 88 ऐयर दर्ज फरमा दिया गया, जबकि मौके पर सायलान उक्त साबिक खसरा नम्बर 468 रकवा 10 बीघा 8 बिस्वा के 1/3 हिस्से के रकवे के बराबर रकवे पर काबिज व दखील हैं,इसलिए सायलान एवं गैरसायलान के हिस्से का रकवा साबिक के मुताबिक बराबर–बराबर किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 5 में दर्ज किया है कि साबिक खसरा नम्बर 468 रकवा 10 बीघा 8 बिस्था जिसका नवीन रिकॉर्ड में 2.57 है० सैटलमेंट विभाग द्वारा तरमीम किया गया है, जबकि साबिक के मुताबिक नवीन रिकॉर्ड में उक्त रकवा 2.60 है० होना चाहिए, जबकि मौके पर सायलान साबिक रकवे के अनुसार ही काबिज एवं दखील है। नवीन रिकॉर्ड में भी सायलान 2.57 है0 में सायलान 80 ऐयर रकवे के स्थान पर 86 ऐयर रकवे के खातेदार काश्तकार होने चाहिए, इसलिए गैरसायल संख्या 02, 06, 07, 08 की खातेदारी से 4 ऐयर रकवा एवं गैरसायल संख्या 03 ता 05 की खातेदारी से 2 ऐयर रकवा कम किया जाकर सायलान की खातेदारी में मौके के अनुसार उक्त रकवा दर्ज फरमाया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 6 में दर्ज किया है कि इसी प्रकार आराजी साबिक खसरा नम्बर 91 रकवा 2 बीघा 19 बिस्वा स्थित ग्राम फुलवाडा, तहसील हिण्डौन में सायलान

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

के पिता रघुवीर सिंह के साथ उनके दोनों भाई रामसहाय एवं गंगासहाय भी बराबर हिस्से के खातेदार रहे हैं, इसलिए दौराने सैटलमेंट उक्त साबिक खसरा नम्बर 91 के नवीन खसरा नम्बर 362 रकवा 22 ऐयर सायलान के नाम, खसरा नम्बर 361 रकवा 28 ऐयर गैरसायल संख्या 01 व 02 के नाम तथा खसरा नम्बर 359 रकवा 14 ऐयर 360 रकवा 10 ऐयर गैरसायल संख्या 03 ता 05 के नाम दर्ज फरमाते हुए सायलान के नाम 3 ऐयर रकवा कम दर्ज किया गया, जिसे सायलान, गैरसायल संख्या 01 व 02 से प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 7 में दर्ज किया है कि आराजी साबिक खसरा नम्बर 373 रकवा 1 बीघा 14 बिस्वा स्थित ग्राम फुलवाडा तहसील हिण्डौन की खातेदारी सायलान के पिता रघुवीर सिंह तथा गैरसायल संख्या 01 व 02 के पिता रामसहाय एवं गैरसायल संख्या 03 ता 05 के पिता गंगासहाय प्रत्येक मौके पर वहिस्सा 1/3 के रकवे पर काबिज व दखील हैं, जबकि उक्त साबिक खसरा नम्बर से नवीन रिकॉर्ड में खसरा नम्बर 743 रकवा 22 ऐयर की खातेदारी सायलान एवं गैरसायल संख्या 03 ता 05 वहिस्सा बराबर–बराबर एवं खसरा नम्बर 743/2484 रकया 20 ऐयर की खातेदारी गैरसायल संख्या 01 व 02 के नाम दर्ज फरमा दी गई, जबकि उक्त दोनों खसरा नम्बर में सायलान के पिता तथा गैरसायल संख्या 01 व 02 के पिता एवं गैरसायल संख्या 03 ता 05 के पिता 1/3–1/3 के खातेदार काश्तकार होने चाहिए एवं रिकॉर्ड में भी इसी प्रकार संशोधन किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है। इस प्रकार सायलान का प्रथम दृष्ट्या केस बखूबी साबित है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 8 में दर्ज किया है कि खसरा नम्बर 1021, 1022, 1024 स्थित ग्राम फुलवाडा, तहसील हिण्डौनसिटी को गैरसायल संख्या 01 दीनासिंह द्वारा अपनी पुत्रवधुओं गैरसायल संख्या 06 ता 08 के नाम रेवन्यू रिकॉर्ड में केवल नाम परिवर्तन के आशय से रजिस्टर्ड डीड के माध्यम से उक्त खसरा नम्बरान को उनके हक में अन्तरण किया है, जबकि मौके पर उक्त आराजीयात पर आज भी सायलान व गैरसायल नम्बर 01 व 02 काबिज व दखील हैं।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 9 में दर्ज किया है कि सायलान अपनी खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजीयात की सार–संभाल कर रहे हैं कि दिनांक 29.06.2023 को गैरसायलान एकराय होकर कहने लगे कि तुमने हमारी खातेदारी के रकवे पर कब्जा किया हुआ है, इसलिए हम इस डौल को तोड़कर तुम्हारी ओर खिसकाएंगे, जिस पर सायलान ने गैरसायलान को गांव के वरिष्ठजन एवं सम्मानीय लोगों को इकट्ठा करके समझाने का प्रयास किया कि भाईयो तुम्हारा नवीन रिकॉर्ड में रकवा साबिक रिकॉर्ड के अनुसार अधिक कायम कर दिया है, इसलिए यदि आपको रकवे की नाप पर शक है तो साबिक रिकॉर्ड के अनुसार रकवे की नाप करवा लेते हैं, जिस पर गैरसायलान नाराज हो गये एवं कहने लगे कि हम साबिक रिकॉर्ड को नहीं जानते, हम तो वर्तमान रिकॉर्ड के अनुसार तुम्हारी डौल को तोड़कर

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

इस पर कब्जा करेंगे। सायलान ने गैरसायलान को समझाने का भरसक प्रयास किया, मगर वे किसी की एक मानने को तैयार नहीं है, अगर गैरसायलान अपने उक्त मंसूबों में कामयाब हो गये तो सायलान को अपूर्तनीय क्षति होगी, जिसकी पूर्ति किसी भी दृव्य से किया जाना संभव नहीं हो सकेगा। इस प्रकार सुविधा का संतुलन का बिन्दु भी सायलान के पक्ष में बखूबी साबित है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर दौराने दावा गैरसायलान को इस प्रकार पाबन्द फरमाया जावे कि वे आराजी खसरा नम्बर 1021 रकवा 23 ऐयर, 1022 रकवा 19 ऐयर, 1024 रकवा 7 ऐयर, 1026 रकवा 9 ऐयर, 1027 रकवा 43 ऐयर के हाल खसरा नम्बर 2458/1027, 2459/1027, 2460/1027 व 1045 रकवा 37 ऐयर, 361, 743/2482 स्थित ग्राम फुलवाडा, तहसील हिण्डौन की खातेदारी व कब्जेकाश्त के उपयोग उपभोग में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करें, उक्त आराजीयात में कोई निर्माण कार्य एवं बेचान नहीं करें, ऐसा कोई कार्य ना तो स्वयं करें, ना किसी अन्य से करावें जिससे हकूक सायलान प्रतिकूल प्रभाव पड़े। रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें ।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 26.09.2023 को गैरसायल नं0 1 ता 8 की ओर से श्री नरेन्द्रसिंह जादौन एडवोकेट ने उपस्थित होकर बकालतनामा पेश किया तथा दिनांक 01.05.2024 को गैरसायल सं01 व 2 की ओर से जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर जवाब प्रार्थना पत्र के मद नं. 1 में दर्ज किया गया है कि प्रार्थना पत्र के मद नम्बर 1 में सायलान द्वारा गैरसायलान के विरूद्ध निराधार गलत तथ्यों पर उक्त उनवानी दावा न्यायालय हाजा में पेश करना स्वीकार है, लेकिन उक्त दावा हाजा में सायलान को सफलता मिलने की कोई संभावना नहीं है।

जवाब प्रार्थना पत्र के मद नं. 2 में दर्ज किया गया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं. 2 में वर्णित खसरा नं 468 रकबा 10 बीघा 8 विस्वा स्थित ग्राम फुलवाडा एवं अन्य खसरा नं 111, 237. 373, 467/1, 467/2, 615, 621 कुल किता 8 कुल रकबा 41 बीघा 7 विस्वा के खातेदार रघुवीर सिंह, रामसहाय, गंगासहाय बहिस्सा बराबर राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज होना स्वीकार है।

जवाब प्रार्थना पत्र के मद नं. 3 में दर्ज किया गया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं. 3 में वर्णित तथ्य स्वीकार हैं।

जवाब प्रार्थना पत्र के मद नं. 4 में दर्ज किया गया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं. 4 में दर्ज तथ्यों मे से सायलान एवं गैरसायलान के बुजुर्ग रघुवीर सिंह, रामसहाय, गंगासहाय द्वारा जबाब दावा के पैरा 1 में वर्णित खसरों की भूमि एवं अन्य शामलाती भूमियों

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

के संबंध में कास्त की सुविधा के लिये आपसी सहमति से भूमि खेतों की कीमत का अंकन कर, सेटलमेन्ट ऑपरेशन के दौरान आपसी सहमति से बंटवारे किये थे, जिसके अनुरूप ही सेटलमेन्ट कर्मियों द्वारा आवश्यक दस्तावेज व सहमत्ति प्राप्त कर उक्त शामलाती भूमि का बंटवारा किया है, जिस किसी भाई को साबिक खसरा नं 468 में से बने नवीन खसरा नंबर में 2–4 एयर भूमि कम ज्यादा दी गई है, उसके एवज मे दूसरे खसरे से बने नंबरों में उसी समय पूर्ती कर दी गई है, सेटलमेन्ट के समय और उसके बाद साबिक खसरा नं 468 की भूमि मे तीनों भाईयों का समान रूप से 1/3–1/3 हिस्सा नहीं रहा है, बल्कि बंटवारा अनुरूप हिस्सा रहा है। बंटवारा अनुरूप ही अपने अपने खसरे की भूमि पर तीनों भाई व उनके वारिसान काबिज व दखिल हैं। और उनके द्वारा बंटवारे मे प्राप्त अपने अपने खसरे की भूमियों में आवश्यक सुधार एवं निर्माण कार्य लाखों रूपये खर्च कर किये गये हैं, सायलान ने भी अपने हिस्से की भूमि मे पुख्ता बाउंड्री करके पुख्ता मकान, दुकान एवं श्री हंस आश्रम को भूमि विक्रय कर आश्रम का निर्माण करवाया है। इसलिये अब करीब 40 वर्ष बाद उक्त भूमि का पुनः विक्रय किया जाना विधिक रूप से आवश्यक व न्याय संगत नहीं रहा है।

जवाब प्रार्थना पत्र के मद नं. 5 में दर्ज किया गया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं. 5 में वर्णित तथ्य में साबिक खसरा नं 468 की भूमि का रकबा 2.60 है० के स्थान पर 2.57 है। मौके अनुरूप सेटलमेन्ट विभाग ने सही दर्ज किया है, साबिक खसरे का बंटवारा हो जाने के बाद नवीन खसरों मे समान रकबा आना जरूरी व आवश्यक नहीं है, आपसी सहमति से खातेदार कम ज्यादा रकबा एक–दूसरे को देकर या लेकर भी विधिवत बंटवारा करवा सकते हैं। सायलान को गैरसायल सं 2, 6, 7, 8 की भूमि में से 4 एयर एवं गैरसायल सं 3 ता 5 की भूमि में से 2 एयर भूमि प्राप्त करने का विधिक अधिकार नहीं है, क्योंकि सायलान द्वारा प्रार्थनापत्र में यह कहीं भी जाहिर नहीं किया है कि साबिक खसरा नं 468 की भूमि के खाते में दर्ज अन्य खसरा नं 111, 237, 373, 467/1, 467/2, 615, 621 कुल किता 8 कुल रकबा 41 बीघा 7 विस्वा की भूमि के बंटवारे में उसे कौन–कौन से खसरे की कितनी भूमि प्राप्त हुई है।

जवाब प्रार्थना पत्र के मद नं. 6 में दर्ज किया गया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं. 6 में वर्णित साबिक खसरा नं 91 की भूमि को खेतों की कीमत का अंकन कर, तीनों भाईयों द्वारा रकबा कम ज्यादा करके आपसी सहमति से सेटलमेन्ट ऑपरेशन के दौरान बंटवारा किया है, जिसे अब उनके वारिसों द्वारा परिवर्तित करवाने का कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं है, क्योंकि गैरसायल सं 3 ता 5 के पिता गंगासहाय को प्राप्त उक्त खसरे की भूमि को उनके द्वारा रामढकेली पत्नि गजानंद को विक्रय कर कब्जे मे दे दिया है। सायलान के पिता रघुवीर ने भी उक्त खसरे की भूमि के अधिक कीमत वाले भाग को हिस्से में लेकर भूमि रकबा कम लिया है, जिसे अब पुनः बांटा जाना विधिक रूप से उचित नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

जवाब प्रार्थना पत्र के मद नं. 7 में दर्ज किया गया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं. 7 में वर्णित साबिक खसरा नं 373 की भूमि जो कि कृषि योग्य भूमि नहीं है. को भी खेतों की कीमत का अंकन कर, तीनों भाईयों द्वारा अन्य आराजियों के बंटवारे के साथ रकबा कम ज्यादा करके आपसी सहमति से सेटलमेन्ट ऑपरेशन के दौरान बंटवारा करके ही तीनों भाईयों ने हाल खसरा नंबर 743 के 22 एयर भाग को रघुवीर, गंगासहाय के नाम एवं खसरा नं 743/2484 के 20 एयर भाग को रामसहाय के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड करवाया है। उक्त भूमि खसरों मे सायलान एवं सायलान के पिता रघुवीर एवं गैरसायल के पिता गंगासहाय का समान रूप से 1/3–1/3 हिस्सा आपसी सहमति से बंटवारा करने के बाद नहीं रहा है।

जवाब प्रार्थना पत्र के मद नं. 8 में दर्ज किया गया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं. 8 में वर्णित खसरों की भूमि के अलावा खसरा नं 745 की भूमि को भी गैरसायल से 1 द्वारा अपनी पुत्रवधुओं को दानकर सुपुर्द किया है, उक्त खसरों की आराजी से सायलान का कोई संबंध नहीं है, ना ही उनका कोई कब्जा है, क्योंकि उक्त आराजी के खसरा नं साबिक आराजी खसरा नं 468 से कायम किये गये हैं, जिसके बाहमी बंटवारे मे सायलान को खसरा नं 1023, 1028, 1047 की सम्पूर्ण भूमि एवं 1026 की भूमि में हिस्सा 1/3 की भूमि प्राप्त हुई है। सायलान का कोई प्रथम दृष्टया केश प्रमाणित नहीं है।

जवाब प्रार्थना पत्र के मद नं. 9 में दर्ज किया गया है कि गैरसायलान वादग्रस्त भूमि के खातेदार कास्तकार एवं काबिज दखिल हैं, वादग्रस्त भूमि के संबंध में सही व सम्पूर्ण बंटवारे के तथ्यों को छिपाकर बंटवारा होने के करीब 40 वर्ष बाद सायलान द्वारा हस्तगत मुकदमा विधि विरूद्ध रूप से पेश किया है, सायलान 40 वर्ष पूर्व हुये बंटवारे उन्हें प्राप्त खसरों की भूमि को मुकदमे से प्रथक रखकर, गैरसायलान को बंटवारे मे प्राप्त भूमि के सबंध में मुकदमा का स्थगन प्राप्त करना चाहते हैं, जिसमे यदि सायलान सफल हो गये तो गैरसायलान को ऐसी अपूर्तनीय क्षति होगी, जिसकी पूर्ती दृव्य में किया जाना संभव नहीं होगा।

जवाब प्रार्थना पत्र के मद नं. 10 में दर्ज किया गया है कि सुविधा का संतुलन सायलान के पक्ष मे प्रमाणित नहीं है।

उज्रात मजीद

जवाब प्रार्थना पत्र के मद नं. 11 में दर्ज किया गया है कि सायलान के स्व० पिता रघुवीर एवं गैरसायलान के स्व. पिता रामसहाय एवं उनके सहोदर भाई गंगासहाय पुत्र मोहनसिंह जाट निवासी फुलवाडा को ग्राम फुलवाडा एवं ग्राम बंध का पुरा में अपने पिता

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

उनकी आराजी को येनकेन प्रकारेण छीनना चाहते हैं, इसलिये दावा सायलान बंटवारा होने के करीब 40 वर्ष बाद एवं बंटवारा करने वाले व्यक्तियों के फौत हो जाने के बाद, बंटवारा अनुरूप खसरो मे आवश्यक सुधार व निर्माण हो जाने के बाद विधि विरूद्ध रूपसे म्याद बाहर पेश किया है, जो कि खारिज किये जाने योग्य है।

जवाब प्रार्थना पत्र के मद नं. 12 में दर्ज किया गया है कि विवादित आराजी के गैरसायलान खातेदार कास्तकार है, एवं काबिज व दखिल हैं, सायलान को बिना कब्जे, बिना खातेदारी अधिकार के गैरसायलान को पाबंद करवाने का विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। इसलिये दावा सायलान खारिज फरमाया जावे।

वकील सायलान ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी 2073–76 किता 08 पेश की हैं।

इसके विपरीत वकील गैरसायलान ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल नक्शा ट्रेस साबिक नम्बरान, फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं. 2038–41 किता–4, फोटो प्रति नकल भू–प्रबन्ध विभाग क्षेत्रफल तुलनात्मक पत्र, फोटो प्रति नकल नक्शा ट्रेस सम्बत् 1982, फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं. 2034–37, फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं. 2038–41, फोटो प्रति नकल खसरा परिशोधन सम्बत् 2041, फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं. 2073–76 मय नक्शा ट्रेस पेश किये हैं।

वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकुलाय फरीकेन की बहस सुनी गई। वकील सायलान ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है इसके विपरीत वकील गैरसायलान ने जबाव प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायलान का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वकुलाय फरीकेन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। नकल जमाबन्दी 2073–76 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1021 रकबा 0.23 है0, 1022 रकबा 0.19 है0, 1024 रकबा 0.07 है0 वाके ग्राम फुलवाडा तहसील हिण्डौन की खातेदारी गैरसायल सं02 व 6 ता 8 के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा आराजी खसरा नम्बर 2459/1027 रकबा 0.1434 है0 वाके ग्राम फुलवाडा तहसील हिण्डौन की खातेदारी गैरसायल सं0 4 के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा आराजी खसरा नम्बर 2460/1027 रकबा 0.1433 है0 वाके ग्राम फुलवाडा तहसील हिण्डौन की खातेदारी गैरसायल सं0 3 के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा आराजी खसरा नम्बर 2458/1027 रकबा 0.1433 है0 वाके ग्राम फुलवाडा तहसील हिण्डौन की खातेदारी संतोष शर्मा पत्नि वासुदेव शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी अमृतपुरी कोलोनी हिण्डौन के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा आराजी खसरा नम्बर 1045 रकबा 0.37 है0

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

वाके ग्राम फुलवाडा तहसील हिण्डौन की खातेदारी गैरसायल सं0 3,4 के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा आराजी खसरा नम्बर 1026 रकबा 0.09 है0 वाके ग्राम फुलवाडा तहसील हिण्डौन की खातेदारी सायलान हि0 1/3, एवं गैरसायल सं0 1 ता 5 कुल हिस्सा 2/3 भाग के नाम दर्ज रिकार्ड है।

सायलान के द्वारा प्रस्तुत नोन ज्यूडिशल स्टाम्प कीमती 5/–रूपया दिनांक 20.07.1984 पर लिखावट लिखी गई है कि यह स्टाम्प मैं गंगासहाय पुत्र श्री मोहनसिंह जाति जाट निवासी फुलवाडा तहसील हिण्डौन वाले ने लिख दिया कि मेरी आराजी खसरा नं0 10 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 108 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, 338 रकबा 7 बिस्वा, 536 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा कुल चार किता रकबा 6 बीघा 17 बिस्वा की खातेदारी मेरे नाम से हैं। उसका हमने अपने सगे दो भाईयों के नाम भी अलग अलग बांट रखा है क्योंकि हम सगे तीन भाई हैं और तीनों ने ही हिस्सा बराबर अलग अलग बांट रखा है। परन्तु रिकार्ड में मुझ अकेले के नाम ही ये नम्बर चल रहे हैं। इसलिए हमारे तीनों भाईयों के नाम ही दर्ज होना बाजिव है और मौके पर भी काश्त कर रहे हैं। अतः मैं अपनी राजीखुशी से अपठनीय सिंह व रामसहाय पुत्र मोहनसिंह के नाम दर्ज कराना चाहता हूँ इसलिए मुझे कोई उजर नहीं है क्योंकि गलती से मेरे दो भाईयों का नाम दर्ज करना रह गया था, जो अब दर्ज होना उचित है। सनद रहे वक्त जरूरत काम आवे। जिस पर सजरा अंकित है जिसमें मोहनसिंह के तीन लडके रघुवीरसिंह, रामसहाय, गंगासहाय अंकित है तथा उक्त लिखावट पर गंगासहाय के हस्ताक्षर हैं।

इसके विपरीत वकील गैरसायलान ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं. 2038–41 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 111, 137, 373, 467/1, 467/2, 468, 615, 621 कुल किता 8 कुल रकबा 41 बीघा 7 बिस्वा वाके ग्राम फुलवाडा तहसील हिण्डौन की खातेदारी रघुवीरसिंह , रामसहाय, गंगासहाय पि0 मोहनसिंह जाति जाट निवासी ग्राम के नाम दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं. 2038–41 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 629, 631 कुल किता 2 कुल रकबा 20 बीघा वाके ग्राम फुलवाडा तहसील हिण्डौन की खातेदारी गजेन्द्रसिंह पुत्र जीवनसिंह हि0 1/2, रघुवीरसिंह , रामसहाय पि0 मोहनसिंह हि0 1/2 जाति जाट निवासी ग्राम के नाम दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं. 2038–41 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 679 रकबा 7 बीघा 2 बिस्वा वाके ग्राम फुलवाडा तहसील हिण्डौन की खातेदारी रघुवीर, रामसहाय पि0 मोहनसिंह जाति जाट निवासी ग्राम के नाम दर्ज रिकार्ड है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

फोटो प्रति नकल भू–प्रबन्ध विभाग क्षेत्रफल तुलनात्मक पत्र के अनुसार ग्राम फुलवाडा की विवादित आराजी के साबिक खसरा नम्बरान से दौराने सेटिलमेन्ट नवीन खसरा नम्बरान निम्नानुसार कायम किये गये हैं :–

साबिक खसरा नम्बर	रकबा	हाल खसरा नम्बर	रकबा हैक्टेयर में
468 मिन	10 बीघा 8 बिस्वा	1021	0.23
		1022	0.19
		1024	0.07
		1026	0.09
		1027	0.43
		1045	0.37

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 468 रकबा 10 बीघा 8 बिस्वा वाके ग्राम फुलवाडा तहसील हिण्डौन की खातेदारी रघुवीरसिंह , रामसहाय, गंगासहाय पि0 मोहनसिंह जाति जाट निवासी ग्राम के नाम दर्ज रिकार्ड रही है तथा दौराने सेटिलमेन्ट साबिक खसरा नम्बर 468 से नवीन खसरा नम्बर 1021 रकबा 0.23 है0, 1022 रकबा 0.19 है0, 1024 रकबा 0.07 है0, 1026 रकबा 0.09 है0, 1027 रकबा 0.43 है0, 1045 रकबा 0.37 है0 वाके ग्राम फुलवाडा तहसील हिण्डौन कायम किये गये हैं तथा वर्तमान राजस्व रिकार्ड में खसरा नम्बर 1027 के तीन टुकडे खसरा नम्बर 2458/1027 रकबा 0.1433 है0, 2459/1027 रकबा 0.1434 है0, 2460/1027 रकबा 0.1433 है0 कायम हो चुके हैं। इस प्रकार उक्त विवादित आराजीयात में भी सायलान का 1/3 हिस्सा मुताविक राजस्व रिकार्ड होना चाहिए था। वर्तमान राजस्व रिकार्ड में विवादित आराजी खसरा नम्बर 1021 रकबा 0.23 है0, 1022 रकबा 0.19 है0, 1024 रकबा 0.07 है0 वाके ग्राम फुलवाडा तहसील हिण्डौन की खातेदारी गैरसायल सं02 व 6 ता 8 के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा आराजी खसरा नम्बर 2459/1027 रकबा 0.1434 है0 वाके ग्राम फुलवाडा तहसील हिण्डौन की खातेदारी गैरसायल सं0 4 के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा आराजी खसरा नम्बर 2460/1027 रकबा 0.1433 है0 वाके ग्राम फुलवाडा तहसील हिण्डौन की खातेदारी गैरसायल सं0 3 के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा आराजी खसरा नम्बर 2458/1027 रकबा 0.1433 है0 वाके ग्राम फुलवाडा तहसील हिण्डौन की खातेदारी संतोष शर्मा पत्नि वासुदेव शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी अमृतपुरी कोलोनी हिण्डौन के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा आराजी खसरा नम्बर 1045 रकबा 0.37 है0 वाके ग्राम फुलवाडा तहसील हिण्डौन की खातेदारी गैरसायल सं0 3,4 के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा आराजी खसरा नम्बर 1026 रकबा 0.09 है0 वाके ग्राम फुलवाडा तहसील हिण्डौन की खातेदारी सायलान हि0 1/3, एवं गैरसायल सं0

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

1 ता 5 कुल हिस्सा 2/3 भाग के नाम दर्ज रिकार्ड है। पक्षकारान के अधिकार दावे में तय होने हैं तथा सुरक्षित हैं। साबिक व वर्तमान राजस्व रिकार्ड के अवलोकन के आधार पर सायलान का प्रथम दृष्टया केस बखूबी साबित है तथा सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू भी सायलान के पक्ष में साबित है। ऐसी स्थिति में यदि विवादित आराजीयात के रिकार्ड व मौके की यथास्थिति कायम नहीं रखी गई तो पक्षकारान के मध्य आपसी विवाद एवं मुकदमेंबाजी बढने की पूर्ण सम्भावना प्रतीत होती है। ऐसे हालात में सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान स्वीकार योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैंसला दावा पाबन्द किया जाता है कि गैरसायलान विवादित आराजी खसरा नम्बर 1021 रकबा 0.23 है0, 1022 रकबा 0.19 है0, 1024 रकबा 0.07 है0, 1026 रकबा 0.09 है0, 2458/1027 रकबा 0.1433 है0, 2459/1027 रकबा 0.1434 है0, 2460/1027 रकबा 0.1433 है0 वाके ग्राम फुलवाडा तहसील हिण्डौन के रिकार्ड व मौके की स्थिति यथावत बनाये रखें। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक 11.09.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर) 11/9/25
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)